

अवेदन पत्र के रिपोर्ट पटवारी हल्का/आई0एल0आर0
 महीदपल्ली निवेदन है कि राजस्व ग्राम रघुनाथपुरा काट स 430, 431
 190 में प्रार्थी का नाम ताराचन्द पुत्र शीशर दा है। प्रार्थी का आधार कार्ड, मतदार
 पहचान का मे ताराशम दा है। प्रार्थी का नाम ताराचन्द के लिये ताराशम
 करना प्रस्तावित है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

क्रमांक : राजस्व/2020/

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना/अभिशांया की जाती है /नहीं की जाती है।

उक्त विना जात उचित है।

10/11/20

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

-: आदेश :-

दिनांक :-

118/
10-11-20

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	रघुनाथपुरा	430	430	ताराचन्द पुत्र शीशर	ताराशम पुत्र शीशर
2	-	431	431	शीशर	
3	-	2025-18 190	190		

नोट :-शेष पृविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 10/11/20

क्रमांक :- राजस्व/2020/994-95
 प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया

को प्रस्तावित है।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी